सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने **"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005"** अधिनियमित किया है ताकि किसी भी सरकारी प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच पाने के लिए नागरिकों हेतु सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था की जा सके ।

सूचना का अधिकार क्या है ?

सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुंचना शामिल है जो किसी सरकारी प्राधिकारी के पास अथवा उसके नियंत्रण में है, और इसमें कार्य, दस्तावेजों, रिकार्डों का निरीक्षण; नोट, सारांश अथवा दस्तावेजों/रिकार्डों की सत्यापित प्रतियां और सामग्रियों के सत्यापित नमूने लेना तथा इलैक्ट्रानिक रूप में रखी सूचना प्राप्त करना भी शामिल है ।

सूचना कौन मांग सकता है ?

कोई भी नागरिक लिखित में अथवा अंग्रेजी/हिन्दी/उस क्षेत्र की राजभाड्ढा जिसमें आवेदन किया जा रहा है, इलैक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन करके और निर्धारित शुल्क के साथ सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है ।

सूचना कौन उपलब्ध कराएगा ?

प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) नामित करेंगे जो जनता से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करेंगे और सभी प्र ाशासनिक इकाइयों/कार्यालयों में आवश्यक संख्या में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपी आईओ) भी रहेंगे जो जनता को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे । सूचना के लिए आवेदन/अनुरोध का निपटान अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि के भीतर या तो सूचना देकर अथवा अनुरोध निरस्त करके किया जाएगा ।

अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति

सरकारी प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षित है कि ऐसे प्राधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में नामित करें जो सीपीआईओ के पद से वरिड्ढ हो तथा जो अधिनियम के अंतर्गत यथावांछित सीपीआईओ के निर्णय के विरूद्ध अपीलें स्वीकार करेगा और उनका निपटारा करेगा । ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे सीपीआईओ से समय सीमा के भीतर सूचना के माध्यम से अथवा निरसन का निर्णय प्राप्त नहीं होता है, सूचना देने के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से 30 दिन के भीतर अथवा निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर अ

पीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है ।

अधिनियम के अंतर्गत पीएफआरडीए का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यथापरिभाञ्चित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एक सरकारी प्राधिकरण है, इस लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का दायित्व है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आम जनता को सूचना उपलब्ध कराए ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से सूचना मांगना

पीएफआरडीए की वेबसाइट

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की एक सक्रिय वेबसाइट है **(URL: http://www.pfrda.org.in)** । पीएफआरडीए द्वारा जारी सारी सूचना एक साथ पीडीएफ और वर्ड फार्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है । यह साईट नियमित रूप से अद्यतन की जाती है ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए जनता के अधिकार-क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी लाने के लिए वचन बद्ध है।

पीएफआरडीए की वेबसाइट **(URL:http://www.pfrda.org.in)** पर पहले से ही उपलब्ध सूचना निम्नानुसार हैं :-

1. पीएफआरडीए की संरचना, बोर्ड के वर्तमान सदस्य और पीएफआरडीए के अधिकारियों से संबंधित ब्यौरा
2. पीएफआरडीए विधेयक, 2005
3. विनियमों का आरंभिक मसौदा
4. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाएं
5. नई पेंशन प्रणाली की संरचना
6. विभिन्न नीतिगत और शोध दस्तावेज
7. भारत सरकार और पीएफआरडीए द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियां
8. असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन सुधारों संबंधी ओआरजी मार्ग-ए सी नेल्सन द्वारा

सर्वेक्षण के परिणाम

9. पीएफआरडीए विधेयक, 2005 संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट ।

मैं सूचना के लिए अपना अनुरोध कहां भेजूं ?

आप अपना अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को भेज सकते हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)

कमल कुमार चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी
भूतल, 124 जीवन भारती बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष 011-23359911 फैक्स 011-23359910
ई-मेल : **kamal.chaudhry@pfrda.org.in**

क्या मुझे अपील करने का अधिकार है ?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यदि आप लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अथवा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने के उसके निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आपको अपील करने का अधिकार है ।

मैं अपनी अपील किसे संबोधित करूं ?

आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकारी

मीना चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक
भूतल, 124, जीवन भारती बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष 011-23328648 फैक्स 011-23359910
ई-मेल : **meena.chaturvedi@pfrda.org.in**

यदि मैं अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट न होऊं तो क्या करूं ?

इस अधिनियम के अंतर्गत यदि आप पीएफआरडीए के अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 के अनुसार नियुक्त केन्द्रीय सूचना आयुक्त को अपील कर सकते हैं ।

क्या पीएफआरडीए मुझे सूचना देने से इन्कार कर सकता है ?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटन से छूट दी गई है । इनमें ये शामिल है :

- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;
- सूचना, जिसका प्रकटन संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल को विशेषाधिकार भंग होता हो ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित समाविष्ट है;
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में आवश्यक है ;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;
- सूचना, जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो या विधि के प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो जाए।
- सूचना, जिसके प्रकटन से अपराधियों के अन्वेषण या गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;
- मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख हैं;
- सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है, प्रकट की जा सकेगी या यथास्थिति, सूचना अधिकारी या अ

पील प्राधिकारी यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है ।

सूचना प्राप्त करने का शुल्क/लागत

इस अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण** के पक्ष में उचित रसीद के एवज में 10 रुपए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चौक (दिल्ली में देय) का आवेदन शुल्क देना जरूरी है ।

अनुरोध डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक द्वारा देय 10 रुपए के आवेदन शुल्क के साथ डाक द्वारा भेजा जा सकता है । आवेदन फैक्स या ई-मेल से भी भेजा सकता है । पीएफआरडीए इस अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवेदन शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही आवेदन को विचारार्थ स्वीकार करेगा ।

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार, पीएफआरडीए निम्नानुसार प्रभार लेगा :

- सृजित अथवा कापी किए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 अथवा ए-3 आकार का कागज) के लिए 2 रुपए;
- बड़े आकार के कागज में प्रति का वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य;
- नमूनों या माडलों की वास्तविक लागत अथवा मूल्य ; और
- अभिलेखों के निरीक्षण हेतु पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट (अथवा उसका अंश) के लिए 5 रुपए का शुल्क ।
- इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए पीएफआरडीए निम्नानुसार प्रभार लेगा;
- डिस्केट अथवा फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए 50 रूपए प्रति डिस्केट अथ वा फ्लॉपी ; और
- मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य अथ वा प्रकाशन से लिए गए अंशों हेतु फोटोकापी के 2 रुपए प्रति पृष्ठ ।

मुझे लागत का भुगतान किस चरण में करना होगा ?

यदि पीएफआरडीए के पास सूचना है और आपको उपलब्ध करा सकता है तो यह 10 रूपए के शुल्क के साथ आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत यथा निर्धारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत आपको सूचित करेगा ।